



Neutral Citation No-2026:AHC:9488

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4727 वर्ष 2025

दीन दयाल याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अंशु चौधरी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109ए के तहत कंसोलिडेटन अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28.08.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत याचिका दायर की गई है।
3. स्थायी अधिवक्ता ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, जैसा कि सलाह दी गई है, उच्च न्यायालय के समक्ष संपर्क करने के लिए एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्रस्तुत रिट याचिका की प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता को स्वीकार किया है। तदनुसार, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तुत रिट याचिका खारिज की जाती है।

जनवरी 14, 2026

नीतू

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।